समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण अपील संख्या–06 / 2013

फिरोज अंसारी

–बनाम्–

झारखण्ड राज्य सरकार

–::आदेश::–

27.09.2018

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो द्वारा राज्यसात वाद संख्या 03 / 2008, झारखण्ड राज्य सरकार (थाना प्रभारी, नवाडीह)–बनाम्–फिरोज अंसारी में दिनांक–17.04.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–52 के अन्तर्गत दायर किया गया है।

वाद का सार यह है कि थाना प्रभारी नावाडीह को दिनांक–18.12.07 को गुप्त सूचना मिली थी कि पलामू स्थित वन विभाग के प्रतिबंधित वनभूमि से कोयले का अवैध खनन कर बेचने हेतु ट्रैक्टर द्वारा लोड कर परिवहन किया जा रहा है। जब इसका सत्यापन करने के लिए वह अपने दलबल के साथ वहाँ पहूँचे तो देखा कि एक ट्रैक्टर चालक उनलोगों को देखते ही ट्रैक्टर को छोड़कर भाग गया। ट्रैक्टर बिना नम्बर का था एवं उसके साथ बिना नम्बर का ट्रेलर भी लगा हुआ पाया गया, जिस पर कोयला लदा हुआ था। इसके अलावा एक अलग से भी ट्रेलर पर कोयला लदा पाया गया। जिसे पुलिस ने नियमानुसार जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। वनभूमि से अवैध कोयले का उत्खनन एवं परिवहन कर बाहर की मंडियों में बेचे जाने के कारण जब्त बिना नम्बर का ट्रैक्टर (चेचिस सं0–094059, इंजन सं0–094413) एवं बिना नम्बर का दो टेलर एवं उस पर लदे कुल 8 (आठ) टन कोयला के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा–413, 414 एवं 34 तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा–33 के तहत संगीन एवं दण्डनीय अपराध को पाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा–52(3) के अन्तर्गत वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो द्वारा जब्त वाहन एवं उस पर लदे कोयले को राज्य सरकार के हित में राज्यसात किया गया है।

उक्त के क्रम में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य सरकार की ओर विज्ञ सहायक लोक अभियोजक, बोकारो को सुना गया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दलील दिया गया कि अपीलकर्त्ता ने किसी भी भारतीय वन अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया

है। उन्होंने ट्रेक्टर खेती हेतु खरीदा था, जो उनके घर पर खाली खड़ा था, जिसे पुलिस द्वारा जबरन जब्त कर ले जाया गया है। उनके अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि पुलिस द्वारा वाहन पकड़ने का स्थान स्पष्ट नहीं किया गया है और न ही अभिलेख में ऐसा कोई स्केच मैप संधारित है जिससे यह प्रमाणित हो कि वाहन जब्ती क्षेत्र, वन विभाग का है। उनके द्वारा यह भी दलील दिया गया कि सभी कोल माईसं सी0सी0एल0 का है और सी0सी0एल0 प्रबंधन द्वारा भी कोयला चोरी संबंधी प्राथमिकी स्थानीय थाना में दर्ज नहीं किया गया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी दलील दिया गया कि पकड़ा गया कोयला वन उत्पाद नहीं है बल्कि चारकोल वन उत्पाद है जिसे भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–30 के अन्तर्गत अधिहरण करने की शक्ति वन विभाग को नहीं है, जब तक की धारा–30 से संबंधित निर्गत अधिसूचना की वैद्यता की अवधि की समाप्ति के पश्चात उसका नवीकरण नहीं करा लिया जाय। उक्त दलील के आधार पर विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत ट्रेक्टर एवं उसके टेलर को विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सहायक लोक अभियोजक, बोकारो द्वारा दलील दिया गया कि वाहन को जब्ती पलामू स्थित वन विभाग के प्रतिबंधित वनभूमि से की गई है। अवैध कोयले के खनन में संलिप्त ट्रैक्टर एवं उनके साथ लगे टेलर के जब्ती के समय वाहन पर कोई निबंधन संख्या नहीं पाया गया, जिसमें अपीलकर्त्ता के वाहन भी सम्मिलित हैं। जिससे स्पष्ट है कि अपराधी तत्व दूषित मंशा से कार्य कर रहे थे। जहाँ तक अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भारतीय वन अधिनियमय 1927 की धारा–30 के समय सीमा के वैद्यता संबंधी अधिसूचना के संबंध में दिए गये दलील की बात है, वह भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–30(b) से संबंधित है, जो कि इस वाद से सबध नहीं रखता है। यह वाद धारा–30(c) से संबंधित है, जिसमें अधिसूचना के वैद्यता की कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है। अंत उनके द्वारा कहा गया कि इस वाद में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–33 के अन्तर्गत वन अपराध के साक्ष्य मौजूद है। अतः अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन पर विचार करना उचित नहीं होगा।

उभय पक्षों के दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि अवैध कोयले के खनन में संलिप्त ट्रेक्टर एवं उनके साथ लगे टेलर के जब्ती के समय वाहन पर निबंधन संख्या का न होना और न ही उस पर लदे कोयले से संबंधित कोई कागजात पाया जाना,

वाहन के मालिक/चालक का दूषित मंशा को दर्शाता है। जिसमें अपीलकर्त्ता का वाहन ट्रैक्टर (चेचिस सं0–094059, इंजन सं0–094413) भी सम्मिलित है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोयले का सी0सी0एल0 के होने संबंधी दलील का काई ठोस आधार नहीं है। जहाँ तक भारतीय वन अधिनियमय 1927 की धारा–30 के समय सीमा के वैद्यता संबंधी अधिसूचना का प्रश्न है वह धारा–30(b) के अन्तर्गत आता है जो कि इस वाद से संबंध नहीं रखता है। यह वाद भारतीय वन अधिनियमय 1927 की धारा–30(c) से संबंधित है, जिसमें अधिसूचना की वैद्यता की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अवैध कोयले का वन भूमि से खनन भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन, 1989) की धारा 2(4)(b)(iv) के प्रावधान के अन्तर्गत वन उत्पाद की परिभाषा में आता है। इस वाद में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–33 के अन्तर्गत वन अपराध होने के साक्ष्य मौजूद है। इसलिए भारतीय वन अधिनियम की धारा–52(5) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलकर्त्ता को कोई छूट नहीं दी जा सकती है।

वर्णित परिस्थिति में प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो द्वारा राज्यसात वाद संख्या–03/2008, झारखण्ड राज्य सरकार (थाना प्रभारी, नवाडीह)–बनाम्–फिरोज अंसारी में दिनाक–17.04.2013 को पारित आदेश पर हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं है। अतः अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

तदनुसार वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एव सशोधित।

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी।
बोकारो।

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.02.07 17:58:48 +05:30
Location: 192.168.1.104